तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) हरलाल बनाम विजयपाल वगै. हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रार्थना पत्र स्थ.नं.- 41/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने फर्द दस्तावेजात् के संलग्न किता– तीन दस्तावेजात् पेश किये, जो शामिल पत्रावली किये गये। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 19.04.2021 को पेश हो।	
19.04.2021	पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। हमने बहस वकुलाय पर सगौर मनन किया एंव पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात् एंव वकील अप्रार्थी द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एंव माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निगरानी/ टीए/1025/2021 जिला सीकर उनवानी गंगाराम बनाम् हरलाल वगै0 में पारित निर्णय आदेश दिनांक 18.03.2021 का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निगरानी/ टीए/1025/2021 जिला सीकर उनवानी गंगाराम बनाम हरलाल वगै0 में पारित निर्णय आदेश दिनांक 18.03.2021 के द्वारा निगरानी विचारार्थ ग्रहण की जाकर [illegible] इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया [illegible] प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर एक माह में एकपक्षीय अन्तरिम स्थगन बाबत विधिसम्मत आदेश	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.04.23 11:35:01 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)
हरलाल बनाम विद्याधर वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र मु.न. 4/2020 पारित करने बाबत निर्देशित किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक माह की अवधि में कोई विधि सम्मत आदेश पारित नहीं किया जाता है तो प्रकरण में जारी एकपक्षीय अन्तरिम स्थगन आदेश स्वतः ही वैकेट समझे जाने बाबत निर्देशित किया गया है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने अवगत कराया कि अप्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमियों पर विधि अनुसार व विधि में प्रावधान अनुसार व अपनी आवश्यकतानुसार 1/50 वें हिस्से भाग पर निर्माण इत्यादि करने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है जिसमें किसी प्रकार की रूकावट व बाधा डालने का प्रार्थी या अन्य किसी को कोई अधिकार नहीं होनें बाबत तथा अप्रार्थी के पास रहने योग्य मकान नहीं होने के कारण कच्चे घर व टीनशेड छप्परयुक्त मकानों के स्थान पर आरसीसी युक्त मकान बनाये जाने तथा उपर वाली मंजिल पर होने बाबत अवगत कराया है। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि उक्त वादग्रस्त भूमियॉं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियॉं है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 6 के द्वारा बिना विधिक बंटवारे के मौके पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। स्थगन आदेश के बाद उक्त निर्माण कार्य किया है। जिसके लिए न्यायालय में अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के तहत कार्यवाही कराने हेतु पृथक से [illegible] है। संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियों [illegible] खातेदार काश्तकार का प्रत्येक इंच इंच [illegible] से अधिकार होता है। जिसका विधिक बंटवारा होने पर ही एक विशेष स्थान पर उसका अधिकार होता है। चूंकि वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.04.23 11:35:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हरलाल बनाम विजयपाल वगै. हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रार्थनापत्र मु.नं.- 4/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

से सम्बन्धित है। जिसमें प्रार्थी के साथ–साथ अप्रार्थीगण की भूमियों का भी विधिक बंटवारा उनके हिस्से में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिक तकास्मा प्रस्ताव भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा बनाये जाने एंव खातेदार काश्तकारान् के द्वारा सहमत होने पर विधिक बंटवारा की विधिक कार्यवाही मूल वाद में ही निश्चित होगी।

अतः ऐसी स्थिति में मूल वादपत्र बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में उभय पक्षकारान् को मूल वादपत्र के निस्तारण तक इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2020 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को तादौरानें वाद कन्फर्म किया जाता है तथा उभय पक्षकारान् को वादग्रस्त आराजी भूमि के रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 19.004.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.04.23 11:35:01 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)